



सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -I, म.प्र.

भोपाल शाखा, 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462011

दूरभाष : 0755-2554821, 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth
In Public Interest

क्रमांक नि.वि.1/समूह-2/डी-1983

दिनांक : 10.12.2020

प्रति,

समस्त वरिष्ठ संभागीय लेखा अधिकारी/
संभागीय लेखा अधिकारी/संभागीय लेखापाल
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय संभाग

विषय: जल जीवन मिशन के अंतर्गत PFMS एवं बैंक के माध्यम से भुगतान के लेखांकन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माह जुलाई - 2020 से, जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रविष्टि की गयी राशियों के समायोजन के सम्बन्ध में प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल को जारी किये गए पत्र दिनांक 08.12.2020 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

यह निर्देशित किया जाता है कि आवश्यक समायोजन माह नवम्बर / दिसम्बर 2020 के मासिक लेखे में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1



सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -I, म.प्र.

भोपाल शाखा, 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462011

दूरभाष : 0755-2554821, 2764037 फेक्स : 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in



लोकहितं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth
In Public Interest

क्रमांक नि.ले.3/ज.जी.मि./

दिनांक : 08.12.2020

प्रति,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग,
मध्यप्रदेश शासन
भोपाल

विषय:- जल जीवन मिशन के अंतर्गत PFMS एवं बैंक के माध्यम से भुगतान के लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में ।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक नि.ले.3/JJM/203/8336 दिनांक 27.11.2020 । महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 27.11.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आपकी ओर, जल जीवन मिशन के अंतर्गत राशियों के लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में आपके द्वारा वांछित, मार्गदर्शन प्रेषित किया गया था ।

इसी परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि माह अक्टूबर, 2020 से जल जीवन मिशन के अंतर्गत दर्ज व्यय के आंकड़ों का, संबंधित कोषालय के माध्यम से प्रधान महालेखाकार कार्यालय, ग्वालियर के कोषालय संकलन अनुभाग में, लेखांकन किया जा रहा है, अतः इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित विषयांतर्गत मार्गदर्शन को स्वतः निरस्त (Automatically Cancelled) माना जावे एवं आपसे यह अनुरोध है कि पूर्व में माह जुलाई, 2020 से सितम्बर, 2020 तक के मासिक लेखाओं में (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग) जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रविष्ट की गयी राशियों का समायोजन माह नवम्बर/दिसम्बर, 2020 के संबंधित मासिक लेखाओं (फार्म-79 में आवश्यक सुधार सहित) में प्रत्येक संभागीय कार्यालय द्वारा किया जाना सुनिश्चित करने की व्यवस्था करें । इस संबंध में आपसे यह भी अनुरोध है कि उक्त समायोजन की कार्यवाही संबंधित प्रत्येक संभागीय कार्यालय स्तर पर करी करने हेतु संबंधित संभागीय अधिकारी को अपने स्तर से निर्देशित करें, ताकि समायोजन नियत अवधि में पूर्ण हो सके ।

यह पत्र उपमहालेखाकार (निर्माण लेखा) महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

वरि.लेखा अधिकारी/नि.ले.3

पृ.क्रमांक नि.ले.3/ज.जी.मि./STR-218

दिनांक : 08.12.2020

वरि.लेखा अधिकारी/टी.एम.अनुभाग, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले/हक) प्रथम, म.प्र., लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर को उनके पत्र क्रमांक टी.एम./07/JJM/डी-791 दिनांक 19.11.2020 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रप्रेषित ।

✓ वरि.लेखा अधिकारी/नि.वि.1 (व्यवसाय) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रप्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया उक्त की जानकारी D.A.'s Corner (website) पर अपलोड करने की मांग की है।

वरि.लेखा अधिकारी/नि.ले.3

SM-32
09/12/2020

सि.जी.मि. अधिकारी
09/12/2020